योजनाओं की जमीनी हकीकत खोल रही पोल

जिले में लग सकते हैं भाजपा के विजयी रथ में ब्रेक

(जिला कार्यालय)

खंडवा। जिले में दिनों दिन भाजपा की साख तेजी से गिरती जा रही है। गुटबाजी, उठापटक, वर्चस्व की गलाकाट स्पर्धा के चलते जहाँ पार्टी का अनुशासन तार-तार हो चला है वहीं समन्वय भी बिखर गया है। इसके चलते भाजपा का मिशन 2018 खण्डवा जिले में खतरे में नजर आ रहा है।

सूबे में बीते 15 सालों से सत्ता का परम सुख भोग रही भाजपा 16 वे साल की दहलीज पर बहकती नजर आ रही है। सत्ता व संगठन के बीच खिंची गई लकीर दिनोंदिन गहराती नजर आ रही है। चौपाल से लेकर भोपाल तक मतदाताओं ने भाजपा को सौंपकर चुनावी वादों व संकल्पों को पूरा करने का भरपूर मौका दिया है। लेकिन नीति आयोग के मानदंड पर खण्डवा जिला खरा नहीं उतरा। उसके दामन पर आखिर पिछड़े का दाग लग ही गया। जिले में केंद्र व प्रदेश सरकार की अरबों रुपयों बजट वाली विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाएं आखिर किसका और कितना कल्याण कर रही हैं, यह उच्च स्तरीय जांच का विषय बन गया है। इन योजनाओं की निगरानी करने में भाजपा का सत्ता व संगठन दोनों हो फेल नजर आ रहा है। सूत्र बताते हैं कि केंद्र व प्रदेश की सरकारें जिन योजनाओं का दिनरात ढोल पीटकर अपनी इमेज चमकाने में जुटी हुई हैं उसकी जमीनी हकीकत उनकी पोल खोल रही है। बड़ी तादाद में जिले के आम हितग्राहियों को उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है जितना ढिंढोरा पीटा जा रहा है। इसके चलते आम लोगों में सत्ता के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि इसका नुकसान भाजपा को भोगना पड़ सकता है। पार्टी के कार्यक्रमों में संगठन द्वारा कार्यकताओं और पदाधिकारियों को दिए गए लक्ष्य गुटबाजी की बलि चढ़ते नजर आ रहे हैं। केंद्र व प्रदेश सरकारें किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए अनेक घोषणाएं व कार्यक्रम आयोजित कर रही है लेकिन इनमें सम्मानजनक भीड़ भी भाजपा नहीं जुटा पा रही है। अनेक कार्यक्रम गिनती भर दर्शकों व श्रोताओं के

चलते भाजपा की भारी किरकिरी के सबब बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण में भी सम्मानजनक दर्शक व श्रोताओं को जुटाने में भाजपाजन नाकाम रहे हैं। यह भी भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के लिए जहां आंखे खोलने वाला है वहीं उसके विजयी मंसूबों पर पानी फेरने वाला भी साबित हो सकता है। जिले में चुनावी सुगबुगाहट से ज्यादा गुटबाजी, उठापटक, वर्चस्व के लिए गलाकाट स्पर्धा के नजारें व चर्चे ज्यादा है। जो जिले की सरहदों से निकल कर भोपाल व दिल्ली तक पहुंचाए जा चुके हैं। जिले की चारों विधानसभा में भाजपा का कब्जा है। उन्हें एक बार फिर कुछ माह बाद चुनावी समर में उतारना है। जिले की हरसूद विधानसभा को छोड़कर खण्डवा, मांधाता, पंधाना में वर्तमान भाजपा विधायकों का विरोध खुद भाजपा के गुट कर रहे हैं। तीनों विधानसभा में चेहरा बदलने के लिए दावेदार अनुशासन की सीमाएं लांघने के लिए उतावले दिखाए दे रहे हैं। खण्डवा में हाल ही में समन्वय के लिए आए प्रदेश महामंत्री विष्णुदत्त शर्मा के सामने विधायक देवेंद्र वर्मा के विरोधी गुट ने जमकर नारेबाजी की।

उन्होंने बंद कमरे चेहरा बदलने की भी पुरजोर मांग की। इसके अलावा लम्बे समय से श्री वर्मा के खिलाफ विरोधी गुट लामबंद होकर गतिविधि चलाए हुए हैं। इसी तरह खण्डवा महापौर सुभाष कोठारी, भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश कोटवाले व विधायक देवेंद्र वर्मा त्रिकोण साबित हो रहे हैं जो कि भाजपा के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहा है। पंधाना व मांधाता में भी चेहरा बदलने की मांग को लेकर दावेदारों ने मोर्चा खोल दिया है।

टिकट की चाहत में विधायक विरोधी भोपाल व दिल्ली तक कि परिक्रमा लगा रहे हैं। मांधाता विधानसभा में विधायक लोकेंद्र सिंह तोमर के विरोधी भी उनकी जड़ों में मा डालने में लगे हुए हैं। यहां भाजपा से नगर परिषद मूंदी के अध्यक्ष संतोष राठौर व खण्डवा कृषि मंडी के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के भी टिकट की हसरत लिए कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। जिले में भाजपा नेताओं की आसमान छूती हसरतों ने इस कदर घमासान मचा दिया है जिसके चलते भाजपा के विजयी रथ पर फिलहाल ब्रेक लगते नजर आ रहे हैं।

गुरु पूर्णिमा पर आएंगे पांच लाख श्रद्धालु

चप्पे-चप्पे पर सीसी टीवी कैमरों एवं ड्रोन की रहेगी नजर

खंडवा, (निप्र)। गुरू पूर्णिमा पर्व को शांति व सद्भाव के साथ मनाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गुरू पूर्णिमा मेले में पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर श्री गढ़पाले ने कहा कि त्यौहारों के अवसर पर शांति समिति के सभी सदस्य सक्रिय रहकर कार्य करें। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को त्यौहारों पर शहर में साफ सफाई कराने तथा स्ट्रीट लाईट सही कराने के लिए निर्देश दिए तथा कहा कि जहां सड़क मरम्मत की आवश्यकता है वहां तत्काल सुधार कार्य कराये जायें। नगर निगम के अधिकारियों को बैठक में निर्देश दिए गए कि त्यौहारों पर शहर में होने वाली भीड़भाड़ को देखते हुए आवारा पशुओं पर भी रोक लगाई जाये। विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्यौहारों के अवसर पर विद्युत आपूर्ति बाधित न हो, यह सुनिश्चित किया जाये। बैठक में उन्होंने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने सभी का सामूहिक दायित्व है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दादाजी धाम के आसपास अस्थाई चिकित्सालय में चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या में ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने मंदिर परिसर में बनाए जाने वाले नियंत्रण कक्ष में विद्युत विभाग, स्वास्थ्य, नगर निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के लिए भी कहा।

विधायक वर्मा ने सभी सदस्यों से अपील की कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुरू पूर्णिमा महोत्सव को पूरे उत्साह, उमंग व अनुशासन के साथ मनाए। महापौर कोठारी ने बैठक में आश्वस्त किया कि नगर निगम द्वारा गुरू पूर्णिमा मेले में प्रकाश व्यवस्था, मार्गों की मरम्मत, शौचालयों की व्यवस्था तथा शहर की स्वच्छता व पेयजल जैसे सभी कार्य बेहतर तरीके से सम्पन्न किए जायेंगे और प्रयास किया जायेगा कि इस उत्सव के दौरान नागरिकों को कोई परेशानी न हो।

पुलिस अधीक्षक रूचिवर्धन ने बैठक में कहा कि खण्डवा शहर में त्यौहारों पर शहर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों एवं ड्रोन कैमरों के माध्यम से नजर रखी जायेगी, ताकि कोई भी अप्रिय घटना को समय रहते प्रभावी तरीके से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि गुरू पूर्णिमा उत्सव के दौरान शहर में भारी वाहनों पर प्रतिबंधित रहेगा। बैठक में पावर पाईंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से दादाजी दरबार एवं आसपास के क्षेत्र में गुरू पूर्णिमा के अवसर पर इस वर्ष की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया।

चौबे डॉ. सीवी रामन विश्वविद्यालय खंडवा के पहले कुलाधिपति नियुक्त

खंडवा, (निप्र)। आईसेक्ट के महानिदेशक संतोष चौबे को मध्यप्रदेश की महामहिम राज्यपाल सुश्री आनंदी बेन पटेल के अनुमोदन के बाद निमाड़ क्षेत्र के पहले निजी विश्वविद्यालय डॉ. सीवी रामन विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। प्रख्यात साहित्यकार, विज्ञान लेखक एवं शिक्षाविद् संतोष चौबे वर्तमान में आईसेक्ट के महानिदेशक हैं और ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल आधारित शिक्षा एवं सेवाओं के अग्रणी उद्यमी के रूप में जाने जाते हैं। श्री चौबे मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.ई. करने के बाद 1977 में भारतीय इंजीनियरिंग सेवा तथा 1982 में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए चयनित हो चुके हैं। वर्ष 1985 से वे आईसेक्ट के संस्थापक के रूप में काम करते रहे हैं। देश में सूचना प्रौद्योगिकी के शिक्षण एवं प्रशिक्षण में श्री चौबे का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा इंडियन इनोवेशन अवॉर्ड तथा नैसकॉम आईटी इनोवेशन अवॉर्ड, नैसकॉम इमर्ज 50 लीडर पुरस्कार, टाई ल्यूमिस इंटरप्रेनियरशिप अवॉर्ड, श्वॉब फाउंडेशन सोशल इंटरप्रेनेयोर ऑफ द ईयर अवॉर्ड, मंथन साउथ एशिया एंड एशिया पेसेफिक अवॉर्ड, टाई ल्यूमिस इंटरप्रेनियरशिप अवॉर्ड, स्कॉच कारपोरेट लीडरशिप अवॉर्ड से भी नवाजा गया है।

ग्रामीण क्षेत्र मे पहुंचकर बांटे नि:शुल्क रेनकोट

जनप्रतिनिधि का फर्ज निभाया अनीता अग्रवाल ने

हरदा, (निप्र)। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन हरदा शाखा और लायंस क्लब हरदा कपल की अध्यक्ष अनिता संतोष अग्रवाल की ओर से शासकीय प्राथमिक शाला पीड़गाव में 60 बच्चों को निशुल्क 60 नग रेनकोट बांटे।

एक जहा सरकार भी बच्चों को पढ़ाने में पीछे नही हट रही वही हरदा की समाज सेविका अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन हरदा शाखा और लायंस क्लब हरदा कपल की अध्यक्ष अनिता संतोष अग्रवाल एक वार फिर मदद करते हुए शासकीय प्राथमिक शाला पीड़गाव में बारिश को ध्यान में रखते हुए 60 बच्चों को 60 नग रेनकोट, 60 कॉपी, 60 पेन प्रदान किये। ज्ञात हो अग्रवाल ने पहले भी ऐसे गरीब बच्चों की मदद कर

जनप्रतिनिधि का फर्ज निभाया है। उनको जब पता चलता है कि कही बच्चों को किसी चीज की जरूरत है तो वो उनकी मदद करने पहुच जाती है। आज भी जब उनको पता चला कि पास ही के गांव में एक शासकीय स्कूल के बच्चों के पास रेनकोट की जरूरत है तो उन्होंने बाजार से खरीद कर उन बच्चों को बांटे। इस दौरान अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन हरदा शाखा और लायंस क्लब हरदा कपल की अध्यक्ष अनिता अग्रवाल, किरण गर्ग, अनिता सराफ, रेखा सराफ, संगीत अग्रवाल, रेखा पटेल, प्रमिला जैन, मोनिका अग्रवाल, मनोरमा अग्रवाल मौजूद थी।

नाबालिग बच्चों का अपहरण करने वाला धराया

मूंदी, (निप्र)। मूंदी के पुरनी रोड के पास रहने वाले एक आदिवासी परिवार के दो नाबालिग बच्चों को अपहरण कर ले जाने वाले बदमाशों को पुलिस ने धरलोया है। खबर मिली है कि पुलिस ने बीड़ के नजदीक एक गांव से आरोपी को पल्सर गाड़ी सहित धरलोया है। बताया जाता है कि आरोपी फिर किसी अपराध को अंजाम देने की नियत से घुम रहा था। पुलिस बच्चों को अगुवा करने वाले आरोपी पर कार्यवाही करने में जुटी थी। पुलिस कार्यवाही के बाद आरोपी की बच्चों को झांसा देकर ले जाने की मंशा उजागर हो सकेगी। मूंदी में 02 जुलाई को आदिवासी भाईयों के दो बच्चे जिनमें भारती पिता दयाराम 07 साल एवं रोहित पिता मयाराम 11 साल को अज्ञात बदमाश पल्सर गाड़ी पर ले गया था। इससे पहले उसने बच्चों के पिता को बातों में उलझाकर भरोसा बनाने का प्रयास किया था। बाद में मौका पाकर दो मासूम बच्चों को लेकर भागा था। मामले की भनक परिवार को लगी तो काफी गहमागहमी रही थी, पुलिस महकमे में भी इस मामले को लेकर काफी हलचल मची। अज्ञात बदमाश पुलिस की नाकेबन्दी की भनक लगते ही करीबन सात घंटे बाद बच्चों को मूंदी के एक ठौराहे पर छोड़कर रात के अंधेरे का लाभ उठाकर भाग खड़ा हुआ था। इस मामले में एसपी रूपिवर्धन मिश्र की भी निगाहें बनी हुई थी। उन्होंने भी आरोपी की धरपकड़ के निर्देश दिए थे।

11 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिल माफ

आज का पर्व जनता का पर्व - विधायक दोगने

हरदा, (निप्र)। मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजनान्तर्गत स्थानीय वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, मिडिल स्कूल प्रांगण में आयोजित अधोसंरचना विकास पर्व कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम के तहत जिले ग्यारह हजार दो सौ छत्तीस हितग्राहियों के ग्यारह करोड़ इकहत्तर लाख सत्यासी हजार छः सौ पिच्यासी रूपए के बकाया बिजली बिल माफ किये गये। म.प्र. व्यापार संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री मदनमोहन गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्राम राजाबरारी के 3 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 33/11 के.व्ही विद्युत उपकेन्द्र का शिलान्यास किया गया। गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार महलों में रहने के लिये नहीं होती, सरकार होती है किसान के खेत पर जाकर उसका फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिये, गरीब को उसका उचित अधिकार दिलाने के लिये। उन्होने कहा कि म.प्र. के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराई है। जहां पहले 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 42 लाख हेक्टेयर हो चुकी है। हम आपकी सेवा का धर्म निभा रहे है। इस अवसर पर विधायक दोगने ने कहा कि आज का पर्व जनता का पर्व है, जनता के लिये है।आप योजनाओं का लाभ ले। उन्होने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ सबको मिले कोई भी इससे वंचित न हो। पूर्व राजस्व मंत्री कमल पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि हरदा जिले में 1 लाख 28 हजार गरीबों का पंजीयन असंगठित क्षेत्र के मजदूर के रूप में किया गया है। इन सभी के मुख्यमंत्री बिजली बिल माफी योजना अंतर्गत बिल माफ किये जाएंगे। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र जैन, अमरसिंह मीणा ने भी संबोधित किया। कलेक्टर अनय द्विवेदी, जिला पंचायत सीईओ हरिसिंह मीणा एवं अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

चालिहा महोत्सव के दौरान होगी भजन संध्या

खंडवा, (निप्र)। सिंधी कॉलोनी स्थित प्राचीन श्री झूलेलाल मंदिर में देवशयनी एकादस 16 जुलाई से 24 अगस्त तक चालिहा महोत्सव का आयोजन श्री झूलेलाल नवयुवक मंडल के तत्वावधान में श्रद्धा पूर्वक होगा। श्री झूलेलाल समर्थ पैनल द्वारा एक बैठक का आयोजन मंडल सचिव हरीश आसवानी की अध्यक्षता में मंदिर परिसर में हुआ। यह जानकारी देते हुए श्री झूलेलाल समर्थ पैनल अध्यक्ष प्रदीप कोटवानी एवं प्रवक्ता निर्मल भगवानी ने बताया कि इस दौरान समाजजनों द्वारा जल देवता वरुणावतार भगवान श्री झूलेलाल जी से देश में सुख समृद्धि, हरियाली और खुशहाली की कामना के साथ 40 दिन तक कठिन उपवास रखे जाएंगे।

नाबालिग से खोटा काम करने वाले सलाखों के पीछे

खंडवा, (निप्र)। न्यायालय ने जघन्य एवं सनसनीखेज मामले में नाबालिग लड़की के साथ बलात्संग करने वाले दो युवकों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया है।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) खंडवा सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा विजय उर्फ अक्षय पिता अर्जुन यदुवंशी उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम साल्याखेड़ा थाना हरसूद को धारा 363 भादस में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपए अर्थदंड एवं धारा 366 के भादस के अपराध में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपए अर्थदंड तथा धारा 376 (घ) भादस में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपए अर्थदंड तथा 376 (2)(आई) भादस में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपए अर्थदंड तथा धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपए अर्थदंड तथा धारा 3(2)(5क) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में 500 रूपए अर्थदंड तथा गोलू उर्फ आकाश उर्फ शंकरलाल पिता मुकेश सिंगोदिया उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम देवल्दी थाना हरसूद को धारा 363 भादस में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपए अर्थदंड एवं धारा 366 क भादस के अपराध में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपए अर्थदंड तथा धारा धारा 376(घ) भादस में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपए अर्थदंड तथा धारा 16/17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपए अर्थदंड तथा धारा 3(2)(5क) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में 500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन उप संचालक अभियोजन (अजाक) जिला खंडवा एमएल सोलंकी द्वारा किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले को जघन्य एवं सनसनीखेज से चिन्हित किया गया था तथा सतत मॉनिटरिंग की गई थी। जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरएस भदौरिया ने बताया कि दिनांक 8.6.2017 को शाम के लगभग 6 बजे नाबालिग बालिका उम्र 14 साल निवासी ग्राम पाटाखली अकेले खेत तरफ शौच के लिए जा रही थी, तभी गांव में टैंकर से रोड पर पानी डालने वाले ड्रायवर आरोपी विजय उर्फ अक्षय पिता अर्जुन यदुवंशी निवासी ग्राम साल्याखेड़ा थाना हरसूद तथा गोलू उर्फ शंकरलाल पिता मुकेश सिंगादिया निवासी ग्राम देवल्दी थाना हरसूद मोटर साइकिल से आए जिन्हे नाबालिग बालिका इसलिए पहचानती है कि दोनों आरोपीगण उसकी स्कूल के आसपास घूमते रहते थे। दोनों ही आरोपीगण ने उसे अपने-अपने नाम बताए थे। आरोपी विजय उर्फ अक्षय नाबालिग बालिका से बोला कि चारखेड़ा का रास्ता बताओ तो उसने कहा मुझे नहीं पता तभी आरोपी गोलू उर्फ शंकरलाल ने जबरदस्ती उसे पकड़कर गाड़ी पर बैठा दिया व गोलू उसके पीछे बैठ गया। आरोपी विजय उर्फ अक्षय और गोलू ने उसे चारखेड़ा के कंट्रोल दुकान जहां से गांव के लोग गल्ला खरीदते हैं ले गए। वहां आरोपी विजय उर्फ अक्षय ने चाबी से कंट्रोल का ताला खोला व दोनों आरोपीगण नाबालिग बालिका को खींचते हुए कंट्रोल दुकान में ले गए। नाबालिग बालिका चिल्लाने लगी तो विजय ने उसका मुंह दबा दिए और दोनों आरोपीगणों ने उसके कपड़े फाड़ दिए, जमीन पर पटक दिया फिर आरोपी विजय ने उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ खोटा काम किया। उसके बाद उसे छोड़कर दोनों आरोपीगण भाग गए। नाबालिग पीड़िता अपने घर आई और अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अख्तर था जिसे बदलकर मैंने अपना नाम अख्तर खान रख लिया है। अतः भविष्य में मुझे मेरे नए नाम अख्तर खान से जाना व पहचाना जावे।

अख्तर खान
ए-8 जिलानी नगर ज्योति नगर के पीछे खरगोन म.प्र.
मोब्राइल 94250-89865

नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम **राजकुमार** था। जो बदलकर **राजकुमार साबु** हो गया है। अतः आज से मुझे राजकुमार साबु के नाम से जाना-पहचाना जाएगा। विदित हो। **-राजकुमार साबु**

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी राखी ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर

सूचना

राखी ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर की विशेष साधारण सभा दिनांक 29/07/2018 को प्रातः 10 बजे स्थान 35-A दीपा नगर सुखदेव इन्दौर पर आयोजित की गई है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार दिनांक 19/07/2018 को नाम निर्देशक प्रस्तुति, दिनांक 20/07/2018 को जाँच एवं दिनांक 29/07/2018 को नामांकन वापसी एवं चिन्ह आवंटन करना है। उक्त कार्यवाही क्रम क्र. 302 सेटलाईट भवन कलेक्टर कार्यालय इन्दौर पर की जावेगी। साधारण सभा की सूचना एवं निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना क्रक द्वारा भी समस्त सदस्यों को दी गई है जिन सदस्यों को डाक प्राप्त न हो वह इस सूचना से भी प्रत्यभिज्ञा हो सकते है।

आई.सी. वर्मा
रिटर्निंग आफिसर
राखी ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर

जी.जी.आटोमोटिव्ह गियर्स लि.2 A इन्डस्ट्रीयल एरिया नं. 1 ए.बी. रोड देवास म.प्र. 455001
CIN:L29130MP1974PLC035049
Tel No.91(7272) 405310/91 (7272) 404802 Website:www.ggautomotive.com Email ID:npshrivas@ggautomotive.com

सदस्यों सूचित किया जाता है कि (Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015) कंपनी के संचालक मंडल की बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 2 A इन्डुस्टीयल एरिया नं. 1 ए.बी. रोड देवास म.प्र. म.प्र. 455001 पर दिनांक 24 जुलाई 2018 दिन मंगलवार को सम्पन्न होगी। बैठक में कंपनी के 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही अनअडिटेड वित्तीय परिणामों को रिकार्ड पर दिया जाएगा।
यह नोटिस कंपनी के वेबसाइट (www.ggautomotive.com) एवं (BSE) के वेबसाइट (www.bseindia.com) पर भी देखा जा सकता है।

For G.G.AUTOMOTIVE GEARS LIMITED
SD/-
KENNEDY.RAM GAJRA
MANAGING DIREC TOR/CEO
DIN:02092206

PLACE:DEWAS
DATE: 11/July/2018

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी मां लक्ष्मी कुबेर सहकारी संस्था मर्या. डही जिला धार

पंजीयन क्रमांक 1463 दिनांक 08.01.2014

क्रमांक/नि.अधि./2018 दिनांक 05.07.2018

निर्वाचन कार्यक्रम

एतद द्वारा संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वाचन-3/2018/5683 दिनांक 23.06.2018 से प्राप्त निर्वाचन कार्यक्रम समस्त सदस्यों को प्रेषित कर दिया गया है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 13.07.2018, जांच एवं वैध नामांकन पत्रों की सूची का प्रकाशन का दिनांक 15.07.2018, नामांकन पत्रों की वापसी, अंतिम उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन व चुनाव चिन्हों का आवंटन दिनांक 17.07.2018 एवं विशेष साधारण सम्मेलन दिनांक 22.07.2018 को नियत है। सूचित हो।

अध्यक्ष
मां लक्ष्मी कुबेर सहकारी संस्था मर्या. डही
(विजेन्द्र रावठाना)
रिटर्निंग अधिकारी, एवं स.स.नि.
मां लक्ष्मी कुबेर सहकारी संस्था मर्या. डही

MC- MEDI-CAPS LIMITED
CIN: L24232MP1983PLC002231
Regd. Office: Mhow-Neemuch Road, Sector I, Pithampur - 454775, Distt. Dhar (M.P)
Email: investors@medicaps.com, Phone: 07292-424242, Fax: 07292-407387

NOTICE

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Notice is here by given to Shareholders of the Company that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act 2013 ("the Act") read with the Investors Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the Rules) as amended, the dividend declared on the equity shares of Rs. 10/- each for the financial year 2010-11, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the Investors Education and Protection Fund (IEPF). Further that the resultant Equity shares of Rs. 10/- each on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also liable be transferred to the IEPF as per the procedure set out in the Rules.

Adhering to the various requirements set out in the rules, the Company has communicated individually to all the concerned shareholders and such eligible shares are liable to be transferred to IEPF as per details made available on the website of the Company at www.medicaps.com.

Concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate in lieu of the original certificate held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificate into demat form and transfer in favour of IEPF. Further that the original share certificate which is registered in the name of original shareholders and Transferred to the IEPF will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the demat account of the IEPF.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders, Company shall transfer the resultant Shares for the year 2009-10 and 2010-11 in the account of IEPF pursuant to the provisions of the Act and the Rulesby the due date as per procedure stipulated in the rules.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the shares so transferred to the IEPF. However, any person whose shares and unpaid dividend is transferred to the IEPF may claim the shares and dividend from the Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority") pursuant to the provisions of Section 124 and 125 of the Act by submitting an online application in Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in.

For any queries on the above matter, Shareholders are requested to please contact Company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) - M/S Ankit Consultancy Pvt Ltd at 60, Electronic Complex, Near Pardeshipura, Indore (MP)-452010 Phone: 0731-2551745/46, E-mail: ankit_4321@yahoo.com

For, MEDI-CAPS LIMITED
AYUSHI SILOT
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Place : Indore
Date : 12.07.2018

ANIL PUB.